MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

Old Judicial Complex, Near DC Office, The Mall, Shimla, H.P - 171001
Cont. No. 0177 - 2802771 Fax 0177 – 2802346
Email : mcsml-hp@nic.in & mcs shimla@yahoo.com

सार्वजनिक सूचना

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(2) के अन्तर्गत सूचना।

जबकि उप–मुहाल क्यारी, तहसील शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला हि० प्र० में खसरा नम्बर 1370/1137/632 रक्बा 0–03–45 वर्ग मीटर और खसरा नम्बर 1363/1127/632 रक्बा 0–04–03 वर्ग मीटर कुल लम्बाई 0/00 से 0/180 मीटर व चौड़ाई 3.00 मीटर को मोटरबल सड़क (Moterable Road) से बाग गांव तक सार्वजनिक मार्ग घोषित करने हेतु बाग गांव के निवासियों से प्रस्तावना प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया।

और जबकि प्रस्तावित उक्त खसरा नम्बर में मोटरबल सड़क (Moterable Road) से बाग गांव तक कुल लम्बाई 0/00 से 0/180 मीटर व चौड़ाई 3.00 मीटर सार्वजनिक मार्ग घोषित किया जाना अपेक्षित हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226(2) के अन्तर्गत सूचना जारी की जाती है कि किसी भूमि/भवन स्वामी को प्रस्तावित रोगी वाहन मार्ग के अन्तर्गत उक्त खसरा नम्बर 1370/1137/632 रक्बा 0–03–45 वर्ग मीटर और खसरा नम्बर 1363/1127/632 रक्बा 0–04–03 वर्ग मीटर व चौड़ाई 3.00 मीटर है, में आने वाली भूमि बारे यदि कोई आपत्ति हो तो वह इस सूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर इस प्रस्तावना पर नगर निगम शिमला में अपनी आपत्ति/सुझाव दायर कर सकता/सकते हैं।

नोटः– प्रस्तावित रोगी वाहन मार्ग घोषित करने के लिए राजस्व योजना एवं अभिलेखों का निरीक्षण किसी भी कार्य–दिवस को किया जा सकता है। यह रिकार्ड अधीक्षक सामान्य, नगर निगम शिमला के पास उपलब्ध रहेगा।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

पृष्ठांकन संख्याः MCS/AC/GA/26/Dy Mayor/26-1761 दिनांकः 29/07/26

प्रतिलिपिः–

1. उपायुक्त, शिमला जिला शिमला, हि०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. उपमण्डलाधिकारी (शहरी) व (ग्रामीण) शिमला को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. आईटी, ईचार्ज, नगर निगम शिमला को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम शिमला की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।